


उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/3218 /

जबलपुर, दिनांक 04/11/2020  
12

श्री अशोक कुमार सिंह, कोर्ट अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर के विरुद्ध एक ही समय में दो शासकीय आवासों को अपने आधिपत्य में रखने, कार्यालय में विलंब से उपस्थित होने तथा कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों/सूचना पत्रों का समय पर जवाब न देने के आदी होने के आरोपों पर रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी/2950/दो-13-26/18, जबलपुर दिनांक 18.05.2019 द्वारा विभागीय जांच की गई। जांचकर्ता अधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 04.07.2020 में आपके विरुद्ध आरोप पद क्रमांक 1, 2 एवं 3 सिद्ध पाये जाने तथा उक्त संबंध में रजिस्ट्री कारण बताओ नोटिस क्रमांक डी/3200/दो-13-26/18, जबलपुर दिनांक 17.08.2020 के तारतम्य में आपके द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 31.08.2020 स्वीकार योग्य न होने, जांचकर्ता अधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 04.07.2020 से सहमत होते हुये आपको आपको मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(चार) सहपठित उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश सेवा (भर्ती, सेवा की सामान्य शर्तें, आचरण, वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 2017 के नियम 16(1) के अंतर्गत आपकी आगामी देय दो वार्षिक वेतनवृद्धियां भविष्य की वेतनवृद्धियों को अप्रभावित करते हुए (Without Cumulative Effect) रोके जाने के दंड से दंडित किया जाता है।


  
(राजेंद्र कुमार वाणी)

रजिस्ट्रार जनरल

जबलपुर, दिनांक 04/11/2020  
12

पृष्ठांकन क्रमांक C/3219 /  
प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर, इंदौर म.प्र.,
2. रजिस्ट्रार प्रशासन/आई.एल., उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
3. चीफ सिस्टम एनालिस्ट उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय म.प्र. की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु,
4. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (ई.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. श्री आर.सी.पारे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्या.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर,
6. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (स्था.)/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
8. सहायक स्थापना/सेवा पुस्तिका, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
9. ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. श्री अशोक कुमार सिंह, कोर्ट अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

  
(नरसिंह बघेल)  
रजिस्ट्रार (इंस्पेक्शन)  
12